''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दु सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2003—फाल्गुन 2, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक बी-1/07/2002/4/एक.—राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत श्री बी. एल. ठाकुर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, गृह (जेल) विभाग, छ. ग. मंत्रालय, रायपुर को राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 10000-325-15200/- में दिनांक 1-3-2002 से नियुक्त किया जाता है.

2. उक्त अधिकारी का वेतन राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि उन्हें वर्तमान मूल वेतन की तुलना में कम से कम रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) का लाभ प्राप्त हो.

3. श्री बी. एल. ठाकुर (रा. प्र. से.) स्थानापन्न वि. क. अ. छत्तीसगढ़ मंत्रालय, गृह विभाग, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-02-28/2002/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-12-2002 की कंडिका-2, जो श्री आर. के. चौकसे, स्टॉफ आफिसर की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन से प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ करने संबंधी है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चौकसे की सेवाएं मध्यप्रदेश में अवर सचिव की हैसियत में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगी.

इनकी प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि दो वर्ष होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3598/F-44/90/HE/2002.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कम्प्यूटर ग्रामीण विश्वविद्यालय, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कम्प्यूटर ग्रामीण विश्वविद्यालय, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 16th December 2002

No. 3598/F-44/90/H.E./2002.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extention of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, established a university known as "Netaji Subhash Chandra Bose Computer Gramin Vishwavidyalaya, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur.

2. The State Government, hereby, authorises "Netaji Subhash Chandra Bose Computer Gramin Vishwavidyalaya, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3601/F-73/140/HE/02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''सृष्टि यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''सृष्टि यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 16th December 2002

No. 3601/F-73/140/HE/02.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur

Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extention of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Shrishti University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "Shrishti University, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree of diplomas for which it shall be recognised or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

फा. क्र. 983/281/21-ब(छ.ग.) 2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिवपाल सिंह, अधिवक्ता सूरजपुर, सरगुजा (अंबिकापुर) को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सूरजपुर, सरगुजा सत्र खण्ड के लिए अति. लोक. अभि. नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2003

विषय :—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित जल उपभोक्ता संस्थाओं को बकाया सिंचाई राजस्व की प्राप्त राशि में से नहरों के सुधार/रख-रखाव हेतु राशि प्रदान करने बाबत.

क्रमांक 488/डी-8/6/असं/तशा/2001-राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्वाचित जल उपभोक्ता संस्थाओं के कृषक संगठनों द्वारा, दिनांक 31-3-2002 तक की कुल बकाया सिंचाई राजस्व की राशि में से, जितनी राशि वसूल कर शासन को जमा करवाई जाती है, उतनी राशि का 20 प्रतिशत भाग संबंधित जल उपभोक्ता संस्थाओं को उनके कार्यक्षेत्र की नहरों के उचित रख-रखाव एवं संधारण हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. कार्यपालन यंत्री जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि की पूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे तथा बकाया सिंचाई राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी.

उपरोक्त राशि का इस विभाग के बजट में मांग संख्या क्रमांक (1) 23/2701-आयोजनेत्तर (01) वृहद सिंचाई अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत जल उपभोक्ता संस्थाओं को सहायक अनुदान क्रमांक (2) 23/2701-आयोजनेत्तर (03) मध्यम अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत जल उपभोक्ता संस्थाओं को सहायक अनुदान क्रमांक (3) 45/2702-आयोजनेत्तर (80) सामान्य के अंतर्गत जल उपभोक्ता संस्थाओं को सहायक अनुदान से प्रावधान किया जाएगा तथा वित्त विभाग से इस मद हेतु वसूली राशि की 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक एफ 5-4/2002/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित को उनके नाम के सामने दर्शाये गये जिला उपभोक्ता फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम
(1)	(2)	(3)
	श्रीमती रत्ना ओस्तवाल, पत्नी श्री गेंदमल ओस्तवाल कामठी लाईन, गली नम्बर 01 राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)	जिला उपभोक्ता फोरम, राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्र. एफ 5-4/2002/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th January 2003

No. F 5-4/Food/2002/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1-B) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the selection Committee hereby appoints the following person as the member in the District Forum as shown against his name with effect from the date his taking over the charge of the office :—

S. No. (1)	Name (2)	District Consumer Forum (3)
1.	Smt. Ratna Ostwal W/o Shri Gendmal Ostwal Kamthi line Gali No. 01, Rajnandgaon (Chhattisgarh).	Distt. Consumer Forum, Rajnandgaon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक 411/सचिव/ऊ.वि./2003.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत निम्नलिखित दो (2) उच्चदाब उपभोक्ताओं को उनके समक्ष दर्शाये आवंटन अनुसार, मेसर्स इस्पात गोदावरी लिमिटेड के 9 मेगावाट क्षमता के केप्टिव संयंत्र से उत्पादित विद्युत में से, जो स्वयं के उपयोग तथा संयंत्र की AUXILARY खपत के पश्चात्, अतिशेष होगी, को विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक	कंपनी का नाम	विक्रय हेतु आवंटित विद्युत यूनिट
(1)	(2)	(3)
1.	मेसर्स हीरा स्टील्स लिमिटेड, रावाभाठा, रायपुर.	अधिकतम 5.11 लाख यूनिट प्रतिमाह.
2.	मेसर्स आर. आर. इस्पात लिमिटेड, उरला, रायपुर.	अधिकतम 5.11 लाख यूनिट प्रतिमाह.
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल यूनिट.	अधिकतम 10.22 लाख यूनिट प्रतिमाह.

2. यह अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उच्चदाब उपभोक्ताओं को आवंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नहीं होगी, किन्तु विद्युत विक्रय की कुल अधिकतम मासिक मात्रा यथा 10.22 लाख यूनिट ही रहेगी.

3. विद्युत मण्डल द्वारा केप्टिव संयंत्र हेतु जारी अनुमति व विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी अनुमति में निहित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इस अधिसूचना में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा दी गई यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी.

4. यह अनुमति दिनांक 1 जनवरी 2003 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 4 फ़रवरी 2003

विषय :— राज्य शासन की अपारंपरिक ऊर्जा नीति में संशोधन.

क्रमांक 33/स./ऊ.वि./02-03.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 8-4-2002 द्वारा राज्य के अपरांपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं. राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

1. यदि उत्पादक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली बेचना चाहता है तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रुपये 2.25 प्रति यूनिट की दर से अनिवार्यत: क्रय करेगा.

2. स्टार्ट अप पॉवर के रूप में खपत की गई विद्युत पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रचलित दर (सामान्य दर) पर विक्रय किया जायेगा एवं उत्पादक इकाई के लिए निर्धारिंत कॉन्ट्रेक्ट डिमांड शुल्क न्यूनतम 50 प्रतिशत कॉन्ट्रेक्ट डिमांड पर देय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव

राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2003

क्रमांक 23/स्थापना रा. मं./2003.—राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्य के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई के लिये कार्य-विभाजन की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है. यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगा.

(एक): राजस्व मंडल की पीठ

राजस्व मण्डल की दो-सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी रचना निम्नानुसार होगी :—

(1) अध्यक्ष, राजस्व मंडल, एवं
(2) सदस्य, राजस्व मंडल

(दो) : छ. ग. भू-राजस्व संहिता की धारा-7 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण.

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री बी. के. एस. रे अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	राजस्व जिला रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा.
2.	श्री नारायण सिंह सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	राजस्व जिला बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया (बैकुण्ठपुर)

(तीन): स्थगन आवेदन-पत्र

अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन-पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री बी. के. एस. रे, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	श्री नारायण सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़
2.	श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	श्री बी. के. एस. रे. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल. छत्तीसगढ़

(चार): विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

(पांच): प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस

(एक)	श्री बी. के. एस. रे. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	(1) सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यत: सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार. (2) सर्किट कोर्ट, जगलदपुर, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर नियत तिथि को.

		(3) राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर में गुरुवार एवं शुक्रवार को.
(दो)	श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़.	सामान्यत: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को.

(छ) : प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत समय

(1) न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य-दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से आरंभ हो कर अपरान्ह 1.30 बजे तक तथा पूर्वान्ह में 3.00 बजे से.

(2) शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

बी. के. एस. रे.
अध्यक्ष
राजस्व मंडल छत्तीसगढ़
बिलासपुर.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पचरी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
266/2	0.040
265/3	0.023
265/2	0.048
300/1	0.024
299/1	0.004
299/2	0.093
309/1	0.065
309/3	0.012
308	0.024
307	0.032
334	0.032
332/1	0.040
332/2	0.040
331/6	0.020
336/1	0.040
336/3	0.150
331/5	0.008
योग 17	0.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 15 (1) के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/37/अ-82-2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पचरी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	582/1	0.194
योग	1	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 15 (1) के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/11/अ-82-2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.010 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	54/2	0.020
	53/1	0.084
	54/1	0.036
	53/2	0.108
	47/3	0.042
	48/1	0.024
	158/1	0.064
	49/1	0.008
	19/5	0.121
	46	
	43	0.032
	115/2	0.036
	112/2	0.032
	124/2	0.036
	152/1	0.040
	211	0.105
	79/4	0.028
	79/7	0.036
	80/1	0.012
	113/5	0.040
	81/1	0.012
	81/3	0.120
	81/4	0.004
	79/3	0.008
	113/4	0.044
	115/1	0.068
	123/2	0.020
	125/1	0.044
	132	0.068
	131	0.053
	133/2	
	157/2	0.045
	129	0.008
	130	
	153	0.045
	569/1	0.058
	152/2	0.040
	156/1	0.041
	47/1	0.032
	215/2	0.188
	224/1	0.068
	212	0.016
	213	0.012
	208/2	0.028
	542/1	0.056
	542/1	0.056
	542/2	0.008
	543	0.004
	567	0.024
	568/1	0.016
योग		2.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 17 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/12/अ-82-2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दुम्हानी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65	0.096
157	0.040
522	0.012
66/1	0.052
110	0.024
127	0.084
67	0.092.
159	0.008
216	0.068
449	0.012
214	0.008
111	0.052
115	0.012
105/1	0.042
105/2	0.042
155	0.028
104	0.052
124	0.056
447/6	0.036
485	0.104
103	0.072
500	0.080
112	0.008
125	0.068
126	0.072
152/2	0.012
501	0.072
503	
152/3	0.039
154/1	0.024
154/2	0.024
154/3	0.024
154/4	0.024
419	
420	0.164
418	0.072
448	0.164
447/7	0.048
558/1	0.060
447/3	0.012
483	0.012
484/2	0.020
499	0.084
523	0.008
524/2	0.008
563	0.096
153	0.028
558/1	0.020
557/1	0.004
557/2	0.068
524/3	0.004
582/2	0.040
योग 50	2.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जांक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 16 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/13/अ-82-2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-दुरूमगढ़, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.430 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154/1 च	0.128
154/1 ग	0.108
154/1 ध	0.060
158/5	0.040
604/1	0.096
158/6	0.028
392/4	0.072
263/3	0.048
157/2	0.036
157/5	0.060
159	0.108
161	0.056
162	
163/1	
217	0.088
218	
344/1	0.132
160	0.016
168	0.020
220	0.072
221/4	
215/1	0.048
215/2	0.040
213/1	0.036
280	0.068
216	0.024
215/4	0.040
213/2	0.040
214	0.092
595	0.104
596/1, 2, 3	0.116
255	0.044
256	0.064
258	
259/2	
262/1	0.080
287	0.008
288	
289	
290/3	
285/1	0.032
392/2	0.020
287	0.020
288	
289	
290/2	
157/1	0.032
287	0.036
288	
289	
290/1	
286/1	0.149
401/2	0.036
297/5	0.012
606/1, 2	0.012
297/6	0.040
317/3	0.042
317/4	0.036
317/2	0.008
317/1	0.202
402/2	0.052
402/1	0.024
404	0.076
395/1	0.072
391	0.020

(1)	(2)
395/2	0.044
392/3	0.056
390	0.092
345	0.032
601	0.052
602	0.004
600/3	0.032
605/1	0.064
605/2	0.016
597/1	0.080
597/2	0.064
योग 59	3.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 18 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/14/अ-82-2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलटिकरी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/3	0.040
35/1	0.16
180	1.104
303/1 ख	
35/2	0.004
36/2	0.024
36/4	0.040
36/6	0.012
36/1	0.012
47/1	0.090
47/2	0.110
96/2	0.004
96/1	0.016
34/1 ग	0.112
34/1 ड	0.150
34/1 छ	0.110
34/1 भ	0.115
34/1 ट	0.016
303/1 ड	0.044
303/1 ध	0.065
303/1 ठ	0.082
181	0.021
योग 21	1.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 18 के निर्माण कार्य हेत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-माहुलडीह, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/1	0.140
167	0.066
117/1	0.096
115	0.032
113/1	0.040
166/1	0.016
113/2	0.008
107/1	0.076
107/2	0.040
99/2	0.036
99/1	0.016
138/1, 2	0.112
138/4	0.040
141	0.012
146	0.080
140/1	0.072
140/2	0.060
147	0.028
139	0.008
168	0.008
224	0.072
166/2	0.088
165	0.012
191	0.020
192/3	0.068
221	0.024
163/1	0.032
148	0.008
142/2	0.012
योग 29	1.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 16 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक भू-अर्जन/17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नकटीडीह, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64/1	0.040
111/2	0.060
194/2	0.036
110	0.004
94/1	0.016
92/4	0.072
376/2	0.104
407/5	0.048
557/4	0.056
93/3	0.016
235/2	0.040
295/3	0.004
237/3	0.052
91/2	0.016
111/1	0.072

(1)	(2)
123/3	0.048
298/1	0.012
123/2	0.028
398/1	0.016
392/5	0.124
122	0.060
121/2	0.044
378/2	0.012
121/1	0.004
375/1	0.048
370/1	0.032
408/2	0.068
410/3	0.036
120/1	0.080
120/4	0.008
392/1	0.124
92/3	0.096
192/2	0.040
557/2	0.092
193/1	0.004
193/2	0.020
407/3	0.068
219	0.016
220/3	0.020
231/2	0.020
231/4	0.040
231/1	0.052
231/3	0.004
233	0.096
229/1	0.060
229/3	0.028
234	0.020
235/1	0.060
252	0.092
297	0.024
296/2	0.036
296/1	0.096
296/4	0.064
296/5	0.084
295/5	0.024
374	0.028
373	0.024
380/1	0.072
392/3	0.040
407/1	0.024
408/1	0.080
557/1	0.024
557/5	0.070
376/1	0.072
251/1	0.044
229/2	0.060
229/4	0.020
194/1	0.036
557/1 क	0.033
232/2	0.008
380/2	0.084
251/3	0.004
योग 72	3.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा क्रमांक 18 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 34/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बांसाझाल, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 64.121 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.182
93/2	0.182
19/4	0.125
19/25 क	0.578
21/2	0.089
19/29	0.356
31	0.048
90	1.190
88	0.064
19/1 ल	0.417
19/5	0.093
19/6	0.080
115	0.279
19/7	0.113
36/2	0.417
39	0.655
36/1	0.546
19/26	0.215
19/28	0.481
20/2	0.044
19/39	0.060
19/2	0.080
23/2	0.080
19/27	0.331
85	0.558
46	1.020
47	1.927
51	1.376
53	0.834
54	0.453
98	0.380
99	0.453

(1)	(2)
55/3	0.303
58/3	0.040
58/2 ख	0.668
57/2	
87/3	0.259
103/1	0.421
62/2 क	0.242
96/1	0.404
97/1	0.032
62/2 ख	0.105
96/2	0.271
97/2	0.032
82	0.279
134/1	0.178
148	0.109
149	0.214
151	0.696
147/1	0.032
63	0.178
65/3	0.202
65/4	0.631
68	0.526
32	0.072
71	0.898
72	0.615
74/1	0.072
118/1	0.595
20/1ख	0.080
20/1क	0.056
19/1क / 1	1.619
19/1 / 4	1.619
19/1 क / 5	1.619
19/1 क / 8	0.809
19/1 क/21	2.024
19/1 क / 15	0.809
19/1 क / 16	0.809

(1)	(2)	(1)	(2)
19/1 क/20	0.809	19/1 क/57	0.607
19/1 क/18	0.809	19/1 क/58	0.607
19/1 क/25	1.214	19/1 क/60	0.404
19/1 क/29	1.214	19/1 क/64	0.809
19/1 क/30	1.619	19/1 क/61	0.809
19/1 क/32	0.809	19/1 क/31	1.214
19/1 क/35	0.809	19/1 क/22	0.809
19/1 क/36	0.809	19/1 क/19	0.809
19/1 क/37	0.607	19/1 क/7	0.809
19/1 क/38	0.607	19/1 क/63	0.708
19/1 क/39	0.607	19/1 क/2	1.214
19/1 क/40	0.809	19/1 क/23	1.214
19/1 क/41	0.607	19/1 क/43	0.607
19/1 क/42	0.607	224/1 222/1	0.032
19/1 क/46	0.607	19/17 19/15	
19/1 क/48	0.404	19/16 220/1	1.530
19/1 क/49	0.607	220/2	0.064
19/1 क/50	0.404	217/2/2	0.129
19/1 क/53	0.607	218/1	0.170
19/1 क/56	0.607	19/1 क/75	0.570
19/1 क/52	0.809	19/22 216/2 217/3	0.222
19/1 क/57	0.809	19/1 क/3	0.663

(1)	(2)
19/18, 219/1	0.016
221/1	0.287
227	0.372
228/2	0.384
19/14, 221/2, 223/2	0.226
योग	64.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 35/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पचरा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.327 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/1 ख	0.161
85/1 घ	0.032
85/1 ड	0.437
161/1	0.340
167	0.032
202/2	0.238
209/1	0.202
267	0.327
240	0.085
160/2	0.461
187/2	0.040
188/1	0.684
178	0.688
188/3	0.145
188/4	0.040
180/4 ख	0.218
85/1 अ	0.809
85/1 झ	0.809
85/1 प	1.356
268/2	0.404
258/1 च	0.809
योग	8.327

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है चांपी जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रिगवार, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 1.333 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
399/2	0.214
397	0.919
योग	1.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 37/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-चपोरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.190 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/1, 56/1	0.097
59/3	0.194
20/9	0.016
76	0.089
59/2	0.080
79/1 ख	0.060
51/7	0.279
18/7, 18/3	0.113
20/4	0.048
18/4	0.060
18/6	0.056
20/7	0.028
20/1	0.012
19/2	0.121
157, 158	0.008
74/1	0.165
18/9	0.121
79/1 क	0.020
77	0.089
411/1	0.101
78/3	0.089
79/2	0.072
79/3	0.016
90	0.170
93	0.121
92/1	0.510
181	0.157
176/1	0.149
176	0.170
150/1	0.101
150/3	0.080
175	0.024
150/2	0.060
160/2	0.020
159	0.016
160/3	0.080
411/1	0.101
422/1	0.445
422/2	0.161
437	0.04
444/3	0.008
444/4	0.016
444/5	0.020
446	0.044
447	0.089
448	0.024
436	0.020

(1)	(2)
438	0.121
432/2	0.105
432/3	0.060
431	0.044
433/2	0.040
626/2	0.080
627/2	0.141
432/1	0.016
योग	5.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान्) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 38/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.303 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8	0.182
14	0.089
12	0.008
17	0.044
11/2	0.113
16	0.020
437/1, 2	0.121
18	0.044
13	0.088
10	0.044
420/1	0.024
9	0.044
427/1	0.052
427/2	0.040
431	0.024
430	0.230
436	0.020
438/2	0.036
452/1	0.267
439/1	0.040
438/3	0.048
453	0.180
448/1 ख	0.012
452/2	0.068
448/1 ग	0.080
448/2	
448/1 क/2	0.125
451/2	0.060
451/1	0.040
450	0.012
488/1	0.052
488/2,3,4	0.08
योग	2.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 39/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बिरगहनी, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.680 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
769	0.089
770	0.113
785	0.080
793/1	0.020
797	0.016
793/2	0.024
794	0.089
799	0.080
798	0.020
828	0.089
829	0.040
836	0.016
योग	0.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2003

क्रमांक 40/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, क्रमांक 1 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.793 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.020
7/2	0.064
8/2	0.040
8/1	0.004
8/3	0.004
10	0.044
15/1	0.032
14/1	0.044
70/2	0.012
14/2	0.012
52	0.004
29	0.072
54	
30	0.089
50	0.064
51/2	0.004
48/1	0.044
48/2	0.044
47	0.206
46/2	0.064
75/2	0.016
51/1	0.072
51/3	0.008
46/1	0.056
75/1	0.008
78	0.080

(1)	(2)
70/1	0.024
77	0.008
70/3	0.080
964/2	0.085
175	0.161
69/1	0.089
231/1	0.085
189/4	0.085
178/1	0.02
178/2	0.060
178/3	0.008
180	0.145
181/1	0.040
182/2	0.161
183	0.145
212	0.076
211	0.080
210	0.161
214/1	0.008
218	0.048
214/2	0.012
215	0.064
232	0.036
228/1	0.052
228/2	0.178
229	0.012
332	0.072
225	0.036
329/1	0.008
917/2	0.020
241/2	0.020
331/1	0.145
331/2	0.008
357	0.222

(1)	(2)
358	0.210
386	0.133
390	0.040
382	0.080
384/2	0.089
383	0.080
376	0.012
477/1	0.153
475	0.060
477/1	0.113
720/1	0.093
720/3	0.089
726	0.040
720/2	0.133
725	0.036
727	0.210
737	0.137
738	0.060
964/1 क	0.040
917/3	0.121
964/1 ख	0.044
917/2	0.121
917/5	0.032
योग	5.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बांगो जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/2003/75.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गेवरा (भैस्माखार)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 100.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
154/1	0.33
154/2	0.62
154/3	0.33
155/1	0.09
155/2	0.10
155/3	0.09
174	0.10
175/1	0.25
175/2	0.34
175/3	0.08
176/1	0.17
176/2	0.17
177	0.22
178/1	0.18
178/2	0.27
178/3	0.32
178/4	0.10
178/5	0.10
178/6	0.09
178/7	0.18
179	0.18
180/1	0.56
180/2	0.02
180/3	0.01
180/4	0.03
180/5	0.01
180/6	0.10
180/7	0.10
180/8	0.10
181	0.25
182	0.23
183/1	0.20
183/2	0.17
184/1	0.15
184/2	0.12
184/3	0.04
184/4	0.04
185/1	0.35
185/2	0.16
185/3	0.17
185/4	0.35
185/5	0.36
185/6	0.36
186/1	0.32
186/2	0.20
186/3	0.06
187	0.06
188/1	0.25
188/2	0.28
189/1	0.14
189/2	0.27
189/3	0.07
190/1	0.07
190/2	0.07
190/3	0.07
190/4	0.07
191/1	0.68
191/2	0.70
192/1	0.16
192/2	0.30
192/3	0.17

(1)	(2)
192/4	0.14
192/5	0.20
192/6	0.14
192/7	0.06
192/8	0.03
192/9	0.12
192/10	0.17
192/11	0.03
192/12	0.03
192/13	0.03
193/1	0.35
193/2	0.15
193/3	0.15
194/1	0.28
194/2	0.35
194/3	0.25
194/4	0.38
194/5	0.28
194/6	0.35
195/1	0.34
195/2	0.34
195/3	0.34
195/4	0.34
195/5	0.34
195/6	0.34
195/7	0.34
195/8	0.34
197/1	0.30
197/2	0.05
197/3	0.40
197/4	0.25
197/5	0.25
197/6	0.20
197/7	0.05
199/1	0.39
199/2	1.04
199/3	0.51
199/4	0.13
200/1	0.69
200/2	1.00
200/3	1.00
201	0.20
202/1	0.64
202/2	0.10
203	0.72
204/1	0.40
204/2	0.27
204/3	0.40
205/1	0.08
205/2	0.16
205/3	0.12
205/4	0.16
205/5	0.10
205/6	0.10
205/7	0.13
205/8	0.13
205/9	0.14
205/10	0.22
206/1	0.30
206/2	0.34
206/3	0.34
206/4	0.13
207/1	1.05
207/2	0.32
207/3	0.33
208/1	0.08
208/2	0.08
209/1	0.46
209/2	0.30
210/1	0.17
210/2	0.05
211	0.34
212/1	0.19
212/2	0.20
213/1	0.07
213/2	0.05
214/1	0.36
214/2	0.04
215/1	0.10
215/2	0.10
215/3	0.10
215/4	0.10
216/1	0.30
216/2	0.06
216/3	0.50
216/4	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
216/5	0.06	228/2	0.05
216/6	0.06	228/3	0.05
216/7	0.10	229	0.18
216/8	0.10	230/1	0.13
217/1	0.17	230/2	0.18
217/2	0.12	230/3	0.10
217/3	0.11	230/4	1.00
218/1	0.04	230/5	0.35
218/2	0.34	230/6	0.90
218/3	0.14	230/7	0.16
218/4	0.37	230/8	0.15
218/5	0.45	230/9	0.12
218/6	0.45	230/10	0.12
218/7	0.34	232/1	0.40
218/8	0.06	232/3	0.20
218/9	0.04	232/4	0.05
218/10	0.20	232/5	0.20
218/11	0.21	232/6	0.05
218/12	0.37	232/7	0.05
218/13	0.08	232/8	0.05
218/14	0.08	233/1	0.59
218/15	0.08	233/3	0.05
219	0.14	233/4	0.40
220	0.20	233/5	0.17
221/1	0.34	233/6	0.25
221/2	0.10	233/7	0.16
221/3	0.80	233/8	0.20
221/4	0.10	234	0.24
221/5	0.10	235/1	0.08
221/6	0.10	235/2	0.07
221/7	0.06	236/1	0.09
223/1	0.01	236/2	0.24
223/2	0.01	236/3	0.13
225	0.05	236/4	0.03
226/1	0.50	237/1	0.25
226/2	0.35	237/2	0.08
226/3	0.20	237/3	0.01
226/4	0.15	237/4	0.07
227/1	0.20	237/5	0.02
227/2	0.20	237/6	0.02
227/3	0.17	237/7	0.01
228/1	0.10	237/8	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
237/9	0.25	248/7	0.52
237/10	0.01	248/8	0.13
237/11	0.01	248/9	0.03
239/1	0.28	248/10	0.15
239/3	0.28	248/11	0.08
240/1	0.12	249	0.45
241/1	0.78	250	0.25
241/2	0.16	251/1	0.38
241/3	0.45	251/2	0.11
241/4	0.74	252	0.66
241/5	0.44	253/1	0.43
242/1	0.28	253/2	0.30
242/2	0.28	254/1	0.05
243/1	0.37	254/2	0.95
243/2	0.20	254/3	0.95
243/3	0.20	254/4	0.30
244/1	0.40	254/5	0.29
244/2	0.10	254/6	0.18
244/3	0.03	255/1	1.11
244/4	0.04	255/2	0.20
245/1	1.97	255/3	0.26
245/2	0.57	256/1	0.35
246/1	0.25	256/2	0.45
246/2	0.80	257	0.24
246/3	0.10	258/1	1.08
246/4	0.25	258/2	0.26
246/5	0.36	259/1	0.12
246/6	0.26	259/2	0.36
246/7	0.13	259/3	0.12
246/8	0.25	259/4	0.12
247/1	0.33	260/1	0.87
247/2	0.08	260/2	0.40
247/3	0.32	260/3	0.05
247/4	0.08	260/4	0.10
247/5	0.08	260/5	0.05
247/6	0.08	260/6	0.05
248/1	0.90	260/7	0.25
248/2	0.20	260/8	0.10
248/3	0.04	260/9	0.10
248/4	0.40	260/10	0.05
248/5	0.20	260/11	0.05
248/6	0.50	260/12	0.05

(1)	(2)
260/13	0.05
260/14	0.10
260/15	0.10
260/16	0.08
260/17	0.07
261/1	0.22
261/2	0.22
261/3	0.21
262/2	0.70
262/3	0.80
262/4	0.11
262/5	0.02
262/6	0.11
262/7	0.43
262/8	2.00
262/9	2.00
262/10	0.02
262/11	0.14
263	0.30
264/1	0.67
264/2	0.21
264/3	0.62
264/4	0.48
264/5	0.48
265	1.82
266	1.22
268/1	0.60
268/2	0.33
268/3	0.34
269	0.53
270/1	0.50
270/2	0.25
270/5	0.25
270/6	0.33
271/1	1.03
271/2	0.06
272/1	0.60
272/2	0.40
272/3	0.10
272/4	0.03
272/5	0.37
272/6	0.60
272/9	0.27
272/10	0.03
272/11	0.85
273/1	0.21
273/2	0.21
273/3	0.22
273/4	0.21
274/1	0.18
274/2	0.18
योग	100.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है एस. ई. सी. एल. कुसमुण्डा क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण परियोजना में कोयला उत्खनन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईसिता रॉय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.